फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री करण शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा नि. बुझड़ा पोस्टः कुंदवा तहसील देवगढ — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 39/2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.08.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ से जरिये क्रमांकः सू. आरटीआई/2022/44 दिनांक 29.07.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 एवं 03 की पत्रांकः राजस्व/उपदे/2022/39 दिनांक 10.06.2022 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 02 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की नहीं होने से अपीलार्थी तहसीलदार, देवगढ से को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से चाही गई सूचना अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 एवं 03 की उपलब्ध करवाई दी गई है। तहसीलदार देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु सं. 02 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ से संबंधित नहीं होने से अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ एवं तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** कार्यालय जिला कलक्टर न्यायालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	